राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
(म. प्र. का तकनीकी विश्वविद्यालय)
RAJIV GANDHI PROUDYOGIKI VISHWAVIDYALAYA
(University of Technology of Madhya Pradesh)

कर्मांक: शैक्षणिक/2003/ 1908

भोपाल, दिनांक: 21/7/03

परिपत्र

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने अ) अनुमोदित संस्था में नए डिप्लोमा कार्यक्रम प्रारंभ करने, ब) नए पोलीटेकनिक महाविद्यालय या संस्थाएं खोलने, स) अनुमोदित संस्था में, पूर्व में अनुमोदित प्रवेश क्षमता में वृध्दि करने के लिए विश्वविद्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित की है –

1. ऐसे समस्त संस्थान, पोलीटेकनिक महाविद्यालय या अन्य संस्थाएं, को उपरोक्त वर्णित किसी भी उद्देश्य के लिए विश्वविद्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) करने हेतु सक्षम अधिकारी के माध्यम से (जैसे कि स्टेटयूट 29 में दर्शाया गया है), विश्वविद्यालय को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन करना होगा ।
2. विश्वविद्यालय, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा उपरोक्त उद्देश्यों के लिए आवेदन पत्र मंगाये जाने की सूचना प्रकाशित होने के एक माह बाद तक, अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय करने हेतु आवेदन स्वीकार करेगा ।
3. शासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालयों और संस्थाओं को छोडकर, शेष समस्त स्थापित या नये स्वशासी पोलीटेकनिक या निजी पोलीटेकनिक महाविद्यालय एवं संस्थाएं, विश्वविद्यालय को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु दिये गये आवेदन के साथ रू.10,000/– की प्रोसेसिंग फीस का भुगतान करेंगी ।
4. संबंधित महाविद्यालय और संस्थाओं को उपरोक्त उद्देश्यों के लिए आवेदन करने पर राज्य शासन एवँ एआईसीटीई/पीसीआई(केवल फार्मेसी पाठ्यकमों हेतु) से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है ।
5. ऐसे समस्त आवेदनकर्ता विश्वविद्यालय में एक निश्चित तिथि पर कुलसचिव द्वारा उपरोक्त कार्य के लिए नियुक्त की गई समिति के समक्ष, अपने प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण आवश्यक रूप से करेंगे ।
6. संस्थाएं/महाविद्यालय या संगठन, जो ऐसे नवीन कार्यक्रम प्रारंभ करना चाहते हैं जो कि वर्तमान में विश्वविद्यालय द्वारा संचालित नहीं किए जा रहे हैं, उन्हें उन कार्यक्रमों की पाठ्यचर्या की एक रूपरेखा प्रस्ताव के साथ विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।
7. विश्वविद्यालय उपरोक्त नियुक्त समिति की अनुशंसाओं पर निर्णय लेकर संबंधित को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय करेगा । उपरोक्त निर्णय विश्वविद्यालय अधिकतम दो माह के अंतराल में संबंधित को सूचित करेगा ।
8. प्रदाय किया गया अनापत्ति प्रमाण पत्र केवल वर्तमान सत्र के लिए ही वैध रहेगा और यह अहस्तांतरणीय है ।
9. अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मेसी कौंसिल आफ इंडिया (केवल फार्मेसी पाठ्यकमो हेतु) का अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात संबंधित नवीन संस्थाएं या महाविद्यालय को विश्वविद्यालय से एक वर्ष के भीतर सम्बद्धता प्राप्त करना अनिवार्य है ।

10. विश्वविद्यालय के एंडामेंड फण्ड में गिरवी रखने हेतु, निजी संस्थाओं के पास, पर्याप्त धनराशि विश्वविद्यालय में जमा करने हेतु, होना आवश्यक है ।

संबंधित महाविद्यालय/संस्थाओं या संगठनों को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु, (शासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालयों और संस्थाओं को छोडकर) निम्न बिंदुओं पर जानकारी, आवेदन के साथ उपलब्ध कराना अनिवार्य है अन्यथा उनका आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा ।

1. नए पोलीटेकनिक महाविद्यालय या संस्थाएं खोलने या नए कार्यक्रम प्रारंभ करने अथवा पूर्व में अनुमोदित प्रवेश क्षमता में वृद्धि करने के लिए उचित कारण या मांग का आंकलन प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।
2. एआईसीटीई के मानदण्डों के अनुसार उपलब्ध संसाधनों (जैसे भूमि, भवन, बिजली एवं पीने के पानी की व्यवस्था) की जानकारी ।
3. संस्था की प्रभावी कार्यक्षमता प्रगति तथा वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति के लिए उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं वित्तीय क्षमता के बारे में सत्यापित जानकारी ।
4. संस्था के कर्मचारी एवं शैक्षणिक स्टाफ को दिए जा रहे एआईसीटीई एवँ राज्य शासन के वेतनमानों की जानकारी ।
5. संस्था में उपलब्ध पर्याप्त क्लासरूम, लाइब्रेरी, आडियोविजुअल एड्स, शैक्षणिक संसाधन एवं कम्प्यूटर सेंटर के बारे में जानकारी ।
6. संस्था में पाठ्यक्रम के अनुसार पूर्णतः सुसज्जित प्रयोगशालाओं के बारे में जानकारी ।
7. आवर्ती व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए पर्याप्त धन के प्रावधान के बारे में जानकारी ।

जिन महाविद्यालयों या संस्थाओं को विश्वविद्यालय द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया जायगा, उन्हें निम्न शर्तो का पालन करना अनिवार्य होगा ।

1. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शैक्षणिक केलेण्डर एवं पढाई एवं परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम का शत–प्रतिशत पालन करना अनिवार्य है ।
2. महाविद्यालय एवं संस्था को कार्यक्रम प्रारंभ करने के पूर्व, एआईसीटीई के निर्धारित मानदण्डों के अनुसार एक इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाना तथा स्टाफ–स्टुडेंट का अनुपात रखना, अनिवार्य है।
3. विश्वविद्यालयों या संस्थाओं को प्रति वर्ष विश्वविद्यालय को सम्बद्धता राशि (Affiliation fee) का भुगतान करना अनिवार्य होगा ।
4. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियम, परिनियम एवं अध्यादेशों का पालन संबंधित महाविद्यालय एवँ संस्थाओं द्वारा अनिवार्य है ।
5. विश्वविद्यालय, अपने मानदण्डों के अनुसार किसी भी महाविद्यालय एवं संस्था में, कोई भी कार्यक्रम के संचालन के लिए, किसी प्रकार की वित्तीय जिम्मेदारी वहन नहीं करेगा ।

कुलसचिव,
राजीव गॉधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
भोपाल